



HAMIRPUR POLICE



थाना सुमेरपुर

दिनांक 26.03.2023

थाना सुमेरपुर अंतर्गत जिलाबदर अभियुक्त अवैध/तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2023 को थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त अभय प्रताप सिंह उर्फ रामजी ठाकुर को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना सुमेरपुर पर मु0अ0सं0 151/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अभय प्रताप सिंह उर्फ रामजी ठाकुर पुत्र शिव मिलन सिंह नि0मु0 वार्ड नं0-9 थोक गुरुगुज कस्बा व थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 123/21 धारा 147/323/325/504 भादसं0 थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 287/21 धारा 147/ 149/ 308/ 384/ 504/ 506 भादसं0 थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर
3. मु0अ0सं0 163/22 धारा 323/504/506 भादसं0 थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर
4. मु0सि0सं0 02/22 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट
5. मु0अ0सं0 13/23 धारा 323/504/506 भादसं0, 10 यूपी गुण्डा एक्ट थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर
6. मु0अ0सं0 151/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुमेरपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार
2. हे0का0 आरिफ खाँ
3. का0 अनुराग सिंह
4. का0 गौरव जादौन

